

अधिसूचना (कलम 19)

क्र.2016/आरबी/डेस्क-3/भूसं/सिआर-117

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड

दिनांक 24.10.2017

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013

क्रमांक.2016/भूसं/सिआर-14, ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 (2013 चा 30) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम 11 च्या पोट कलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक 32 दिनांक- ऑगस्ट 10-16, 2017 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम 15 च्या पोटकलम (2) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम 19 च्या पोटकलम (1) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करित आहे.



अनुसूची- एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव: मौजे गोजेगाव तालुका: हदगाव जिल्हा: नांदेड

| अ.क्र. | भुमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
|--------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 57 | 0.10 |
| 2 | 57 | 0.41 |
| 3 | 57 | 0.19 |
| 4 | 57 | 0.05 |
| 5 | 58 | 0.13 |
| 6 | 58 | 0.56 |
| 7 | 58 | 0.04 |
| 8 | 58 | 0.78 |
| 9 | 63 | 0.18 |
| 10 | 64 | 0.01 |
| 11 | 65 | 0.39 |
| 12 | 65 | 0.31 |
| 13 | 65 | 0.33 |
| 14 | 59 | 0.01 |
| 15 | 62 | 0.70 |
| 16 | 62 | 0.08 |
| 17 | 62 | 0.15 |
| 18 | 47 | 0.19 |
| 19 | 47 | 0.43 |
| 20 | 47 | 0.64 |
| 21 | 47 | 0.11 |
| 22 | 46 | 0.40 |
| 23 | 46 | 0.16 |
| 24 | 46 | 0.42 |
| 25 | 46 | 0.17 |
| 26 | 45 | 0.20 |
| 27 | 12 | 0.09 |
| 28 | 17 | 0.02 |
| 29 | 15 | 0.27 |
| 30 | 16 | 0.24 |
| 31 | 16 | 0.08 |

12

| | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 32 | 40 | 0.51 |
| 33 | 40 | 0.07 |
| 34 | 39 | 0.09 |
| 35 | 38 | 0.14 |
| 36 | 35 | 0.23 |
| 37 | 35 | 0.12 |
| 38 | 36 | 0.01 |
| 39 | 36 | 0.16 |
| 40 | 34 | 0.55 |
| 41 | 34 | 0.30 |
| 42 | 33 | 0.10 |
| 43 | 37 | 0.02 |
| 44 | 21 | 0.14 |
| 45 | 21 | 0.29 |
| 46 | 21 | 0.16 |
| 47 | 22 | 0.41 |
| 48 | 22 | 0.0014 |
| 49 | 26 | 0.70 |
| 50 | 26 | 0.22 |
| 51 | 26 | 0.88 |
| 52 | 26 | 0.15 |
| 53 | 26 | 0.44 |
| 54 | 27 | 0.24 |
| | एकूण संपादित क्षेत्र | 13.7714 |

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा-नांदेड नविन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ,
पुसद मौ. गोजेगाव ता. हदगाव जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : वर्धा-नांदेड नविन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ, पुसद
मौ. गोजेगाव ता. हदगाव जि. नांदेड

समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा.



अनुसुची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गावाचे नांव : गोजेगाव

तालुका : हदगाव

जिल्हा : नांदेड


| अ.क्र. | भुमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
|--------|------------------------------|------------------------|
| - | - लागु नाही - | ----- |

अनुसुची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -

टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, हदगाव जि. नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल.

दिनांक : 24.10.2017

ठिकाण : नांदेड


जिल्हाधिकारी नांदेड